

जैव शस्त्र और रासायनिक शस्त्र अभिसमय

जैव शस्त्र और रासायनिक शस्त्र अभिसमय

Biological Weapon and Chemical Weapon Conventions



जैव शस्त्र अभिसमय (BWC) 1975

जैव शस्त्र सूक्ष्म जैविक एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक) या विषाक्त पदार्थों का उपयोग जान-बूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों को मारने या उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।

| औपचारिक नाम | समझौता | प्रतिबंधित | सदस्य | महत्त्व |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> “बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके विनाश के निषेध पर अभिसमय” | <ul style="list-style-type: none"> जिनेवा, स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान | <ul style="list-style-type: none"> जैविक और विषाक्त हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग | <ul style="list-style-type: none"> इसमें 184 भागीदार देश और चार हस्ताक्षरकर्ता राज्य (भारत-हस्ताक्षरकर्ता) शामिल हैं। | <ul style="list-style-type: none"> सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है। |

रासायनिक शस्त्र अभिसमय (CWC) 1997

रासायनिक शस्त्र एक ऐसा रसायन होता है जिसके विषाक्त गुणों का उपयोग जान-बूझकर किसी को जान से मारने अथवा नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।

युद्ध सामग्री, उपकरण तथा अन्य साजो-सामान जिन्हें विशेष रूप से विषाक्त रसायनों से शस्त्र/हथियार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

| वार्ता का आरंभ | आज्ञापन | स्थापना | सदस्य | प्रतिबंधित |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1980 के दौरान | <ul style="list-style-type: none"> पुराने और प्रयोग किये जा चुके रासायनिक शस्त्रों को नष्ट करना। सदस्यों को 'दंगा नियंत्रण एजेंटों' (कभी-कभी 'ऑसू गैस' के रूप में संदर्भित) को भी स्वयं के कब्जे में घोषित करना। | <ul style="list-style-type: none"> CWC की शर्तों को लागू एवं क्रियान्वित करने के लिये वर्ष 1997 में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन (OPCW) की स्थापना। | <ul style="list-style-type: none"> इसके 192 राज्य सदस्य और 165 हस्ताक्षरकर्ता (भारत-हस्ताक्षरकर्ता) हैं। | <ul style="list-style-type: none"> रासायनिक शस्त्रों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण और उपयोग। CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिये अन्य राज्यों की सहायता करना। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग 'युद्ध विधियों' के रूप में करना। |

और पढ़ें...